

लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा जोन की विभिन्न आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

ई-नीलामी द्वारा निस्तारित होने वाली सम्पत्तियों हेतु
ई-नीलामी पोर्टल <https://upavpauction.procure247.com>

आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों की ई-नीलामी

आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों की ई-नीलामी तिथि: 31.01.2023

पंजीकरण एवं टोकन धनराशि जमा करने की अवधि: 21.01.2023 से 30.01.2023

शहरवार विभिन्न श्रेणी के रिक्त सम्पत्तियों का विवरण

जोन	शहर	व्यवसायिक	आवासीय	कुल इकाईयें	संरक्षित	प्रीमियम
लखनऊ	लखनऊ	34	16	1	6	3
	हरदोई	--	37	--	--	--
कानपुर	कानपुर	26	96	--	--	--
	फतेहगढ़ फर्रुखाबाद	6	--	--	--	--
	इटावा	--	117	--	--	--
मेरठ	मेरठ	35	25	2	--	--
	बुलन्दशहर	2	4	--	--	--
	सुर्जा	--	40	--	--	--
	सहारनपुर	7	2	--	15	--
	गाजियाबाद	46	92	22	4	--
आगरा	आगरा	1	--	--	--	--
	शिकोहाबाद	5	--	--	--	--
	फिरोजाबाद	12	--	--	--	--
बरेली	मुरादाबाद	20	20	--	--	2
	बिजनौर	--	38	--	--	--
	बदायूं	--	114	--	--	--
गोरखपुर	गोण्डा	--	12	--	--	--
	बाराबंकी	15	--	--	--	--
	सुल्तानपुर	5	17	--	--	--
	बहसई	8	--	--	--	--
वाराणसी	प्रयागराज	14	--	--	--	--
	वाराणसी	2	--	--	--	--

उक्त तालिका में अंकित शहरों में उल्लिखित सम्पत्तियों के अलावा अन्य श्रेणी की सम्पत्तियां तथा उक्त के अतिरिक्त लखीमपुर, झांसी, गोरखपुर, बड़ीत, सतौली, व रामपुर व अन्य शहरों में भी परिषद की योजनाओं में विभिन्न श्रेणी की सम्पत्तियां रिक्त हैं, जिनका पूर्ण विवरण परिषद की वेबसाइट तथा ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है। ● मा0 न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। ● आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों को आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर 'Other Document' में अपलोड किया जाना होगा। ● यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है, तो अपूर्ण/अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। ● किसी भी नियम/विनियम, नियम व शर्तों, सम्पत्ति का विवरण यथा-जोन, योजना, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, टोकन मनी, आरक्षण आदि के सम्बन्ध में परिषद की वेबसाइट www.upavp.in अथवा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। समस्त प्रस्तावित सम्पत्तियों का निस्तारण परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली यथा संशोधित मार्च-2016 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अधीन किया जायेगा। ● परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियां परिषद विनियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन "जहां है, जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जाएगी।

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें: 8866287104, 9574524058

(सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे)

टोल फ्री : 1800-180-5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार)

प्रातः 10:00 से सायं 6:00, ई-मेल : tapan@tender247.com;

maresh.baku@procure247.com; helpdesk@procure247.com